



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22/12/2016 का कार्यवृत्त

स्थिति:

1	प्रो० अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो० एस०के० दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो० जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो० पी०पी० शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो० श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
6	डॉ० अक्षय सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	प्रो० सी०पी० श्रीवारत्त	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ० रिजवाना जमाल	पाठ्या, डगगबाइ गवर्न पी०जी० कालेज, गोरखपुर	सदस्य
9	डॉ० संजीता पाण्डेय	उपाचार्य, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
10	डॉ० अनुराग द्विवेदी	पत्रकार, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
11	डॉ० रामप्रकाश यादव	वरिष्ठ शिक्षक, युद्ध पी०जी० कालेज, कुशीनगर	सदस्य
12	डॉ० प्रदीप कुमार सिंह	वरिष्ठ शिक्षक, उचित नारायण पी०जी० कालेज, पडरौना	सदस्य
13	डॉ० सुधाकर लाल श्रीवारत्त	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
14	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
15	प्रो० संजीता कुमार गुप्ता	वाणिज्य विभाग	विशेष आमंत्रित
16	डॉ० अमरेंद्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

परीक्षा समिति के नये सम्मानित सदस्य डॉ० संजीता पाण्डेय, डॉ० रामप्रकाश यादव एवं डॉ० प्रदीप कुमार सिन्हा का माननीय कुलपति जी द्वारा स्वागत किया गया तथा निवर्तमान सदस्य डॉ० मालविका श्रीवारत्त, डॉ० वेद प्रकाश मिश्र एवं डॉ० शरोज श्रीवारत्त के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यसूची :

1. भागीरथी कृषक महाविद्यालय, महाराजगंज के तीन छात्र/छात्राओं के वार्षिक परीक्षा वर्ष 2015-16 की उत्तरपुरितकाओं को महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं लिपिक द्वारा बदले जाने की शिकायत पर माननीय कुलपति जी द्वारा गठित जांच समिति 1. डॉ० संजीता गुप्ता-संयोजक 2. डॉ० अहमद नसीम-सदस्य 3. डॉ० करुणाकर राम त्रिपाठी-सदस्य की आख्या पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तीनों छात्रों को सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में औसत अंक देकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय। परीक्षा से सम्बन्धित प्राचार्य, लिपिक तथा कक्ष निरीक्षक को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों से तीन वर्षों तक वंचित रखा जाय एवं महाविद्यालय को परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र भी न बनाये जाने पर विचार किया जाय।

2. विनय कुमार पाठक पुत्र श्री राममिलन पाठक बी०एड० वर्ष-2011 अनुक्रमांक 4763090097, राजीव गांधी महाविद्यालय, पैसिया लक्ष्मीपुर महाराजगंज से संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण किया। छात्र को अंकतालिका एवं उपाधि भी निर्गत है किन्तु अंक सत्यापन के समय यह ज्ञात हुआ कि छात्र का नाम विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में अंकित नहीं है, लेकिन ई०डी०पी० सेल के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 13/08/2016 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि छात्र महाविद्यालय का विधिक छात्र था। इस विसंगति के कारण छात्र का अंकपत्र सत्यापित नहीं हो पा रहा है का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08/11/2016 के बिन्दु 1 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि "विनय कुमार पाठक पुत्र श्री राममिलन पाठक बी०एड० वर्ष-2011, संस्थागत छात्र, अनुक्रमांक 4763090097, राजीव गांधी महाविद्यालय, पैसिया लक्ष्मीपुर महाराजगंज का अंकपत्र एवं पी-7 का सत्यापन कर परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय", अंकपत्र एवं पी-7 के सम्बन्ध में प्राचार्य की आख्या प्राप्त हो गयी है। अर्थार्थी के अंक सत्यापन पर विचार-

(नोट:-विनय कुमार पाठक अनुक्रमांक 4763090097 बी०एड० वर्ष-2011 राजीव गांधी पी०जी० कालेज पैसिया महाराजगंज का विश्वविद्यालय प्रति के अंकपत्र से अंक निर्गत है। प्रश्नपत्र प्रथम में 55, द्वितीय प्रश्नपत्र में 60, तृतीय प्रश्नपत्र में 68, चतुर्थ प्रश्नपत्र में 51, पंचम एवं षष्ठम प्रश्नपत्र (पदार्थ विज्ञान) में 61, सप्तम एवं अष्टम प्रश्नपत्र (गणित) में 66, नवम की में 61 कुल प्राप्तांक 425 (प्रथम श्रेणी) तथा प्रयोगात्मक में 257 (प्रथम श्रेणी)।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विनय कुमार पाठक पुत्र श्री राम मिलन पाठक बी०एड० वर्ष-2011, अनुक्रमांक 4763090097, केन्द्र-राजीव गांधी महाविद्यालय पैसिया लक्ष्मीपुर, महाराजगंज, में परीक्षार्थी नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में अंकित कर अंक सत्यापित कर दिया जाय।

5/2



## दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

3. पूर्वांचल इन्स्टीच्यूट ऑफ डेन्टल साइन्सेस, गोरखपुर के वर्ष-2016 की परीक्षा की कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तरपुस्तिकाओं के अन्त में कुछ पत्र अतिरिक्त लगाकर उत्तर लिखे गये हैं। इस संदर्भ में प्राचार्य से पूछा करने पर प्राचार्य, डॉ० रविशंकर एम0ए-10, पूर्वांचल इन्स्टीच्यूट ऑफ डेन्टल साइन्सेस, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 10/12/2016 के माध्यम से अवगत कराया है कि पूर्वांचल इन्स्टीच्यूट ऑफ डेन्टल साइन्सेस, गीन्डा, गोरखपुर द्वारा बी0डी0एस0 की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं में पेज समाप्त हो जाने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा बी उत्तरपुस्तिका की मांग की गयी। बी कॉपी के न उपलब्ध कराये जा सकने की व्यवस्था/नियम का संज्ञान लेते हुए इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परीक्षा सामान्य के अधीक्षक को पत्रेन करने का प्रयास किया गया पत्रेन न मिलने के कारण अभ्यर्थियों के दबाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त पन्नों की व्यवस्था अज्ञानतावश करायी गयी थी। यह कार्य भूलवश किया गया है जिसके लिए हमें खेद है और भविष्य में ऐसी त्रुटि किसी भी दशा में नहीं होने दी जायेगी। साथ ही महाविद्यालय के त्रुटि को क्षमा करने का कष्ट करें। तदक्रम में प्राचार्य के पत्र पर विचार।

निर्णय: समिति ने प्राचार्य, पूर्वांचल इन्स्टीच्यूट ऑफ डेन्टल साइन्सेस, गोरखपुर के प्रत्यावेदन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया तथा महाविद्यालय को भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया।

4. अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री जीउत प्रसाद गुप्ता बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष-1989 केन्द्र नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर से सम्बन्धित रिकार्ड विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में सारणीयन पंजिका उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय से एक पत्र पत्र संख्या 816/प0नि0क0/2016 दिनांक 15/10/2016 प्रेषित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने उक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 111/सा0प0क0/2016-17 दिनांक 22/10/2016 में अवगत कराया गया कि सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज महाविद्यालय में भी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी से प्राप्त अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो प्रति के साथ महाविद्यालय प्राचार्य को इस आशय का एक पत्र, पत्रसंख्या 832/प0नि0क0/2016 दिनांक 02/11/2016 को प्रेषित किया गया कि आप के महाविद्यालय द्वारा जारी अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र आपके महाविद्यालय द्वारा निर्गत की गयी है एवं उस पर तत्कालीन प्राचार्य एवं लिपिक का हस्ताक्षर सही है या नहीं? उक्त के सम्बन्ध में प्राचार्य, नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर द्वारा पत्र संख्या 114/अ0च0/2016-17 दिनांक 03/11/2016 द्वारा सूचित किया गया कि संलग्न अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष-1989 महाविद्यालय द्वारा निर्गत अंकतालिका एवं चरित्र प्रमाण पत्र पर तत्कालीन प्राचार्य व लिपिक का हस्ताक्षर सही है। श्री अनिल कुमार गुप्ता ने वर्ष-1990 में बी0एस-सी0 त्रिज कोर्स उत्तीर्ण किया है जिसका अनुक्रमांक 75273 है, जिसका परीक्षाफल उत्तीर्ण है, जिसकी सारणीयन पंजिका मूल रूप में विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री अनिल कुमार गुप्ता बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष-1989 के सत्यापन भेजने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08/11/2016 में निम्न निर्णय लिया गया-

*निर्णय:- समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री जीउत प्रसाद गुप्ता बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष-1989, केन्द्र नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज गोरखपुर से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष एवं महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो इस संदर्भ में पुनः विस्तृत परीक्षण कर आख्या के साथ प्रस्तुत किया जाय।*

इस संदर्भ में, श्री अनिल कुमार गुप्ता, बी0एस-सी0 भाग दो, वर्ष-1989, अनुक्रमांक-69709 केन्द्र-नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अंकपत्र विषय प्राणि विज्ञान के तीनों प्रश्नपत्रों एवं प्रायोगिक के अंकपत्र, विषय रसायन विज्ञान के तीनों प्रश्नपत्रों एवं प्रायोगिक के अंकपत्र तथा विषय वनस्पति विज्ञान के द्वितीय प्रश्नपत्र के अंकपत्र परीक्षा गोपनीय अनुभाग से प्राप्त है। अतः श्री अनिल कुमार गुप्ता बी0एस-सी0 भाग दो वर्ष-1989 के सत्यापन भेजने के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण किया तथा निर्णय लिया कि सारणीयन पंजिका में अंक दर्ज करते हुए अभ्यर्थी का अंकपत्र सत्यापित कर दिया जाय।



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

5. वर्ष-2017 की वार्षिक परीक्षा हेतु केंद्राध्यक्ष निर्धारित करने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से वार्षिक परीक्षा-2017 में केन्द्राध्यक्ष/केंद्र निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. प्रो० एस०के० दीक्षित, भूगोल विभाग, संयोजक
2. प्रो० शैलजा सिंह, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, सदस्य
3. डॉ० प्रदीप कुमार सिन्हा, उदित नारायण पी०जी० कालेज, पड़रौना, कुशीनगर, सदस्य
4. डॉ० राम प्रकाश यादव, बुद्ध पी०जी० कालेज, कुशीनगर, सदस्य
5. डॉ० सुधाकर लाल श्रीवास्तव, इतिहास विभाग, सदस्य

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार-

1. प्रार्थनी रेनु सिंह पुत्री ओम प्रकाश सिंह बी०एड० कक्षा सत्र 2016-17 अनुक्रमांक-1617741270022 केंद्र-नेशनल पी०जी० कालेज बड़हलगंज गोरखपुर ने अपनी प्रत्यावेदन में उल्लेख किया है कि प्रायोगिक परीक्षा में हमें अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, केंद्र प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में प्रो० शैलजा सिंह, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय की संस्तुति के क्रम में नये बी०एड० विनियम के निम्न प्रस्तर पर विचार-

"Separate division will be allotted for both theory and practical examination. A candidate will be declared passed in theory part if he/she obtain 36% marks in the aggregate and at least 30% in each of the theory papers. Minimum 50% marks are mandatory to pass in practical examination."

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रेनु सिंह पुत्री ओम प्रकाश सिंह बी०एड० वर्ष 2016-17, अनुक्रमांक-1617741270022, केंद्र-नेशनल पी०जी० कालेज बड़हलगंज गोरखपुर के प्रकरण में अधिष्ठाता शिक्षा संकाय की संस्तुति "प्रायोगिक परीक्षा में कुल अंकों का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा (Minimum 50% marks are mandatory to pass in practical examination)" को स्वीकार किया।

2. राष्ट्रगौरव के पाठ्यक्रम को समुचित रूप से लागू करने पर विचार।


निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राष्ट्रगौरव के पाठ्यक्रम को समुचित रूप से लागू करने हेतु समस्त संकायाध्यक्षों की एक कमेटी बना दी जाय।


3. मानवेन्द्र त्रिपाठी, भूतपूर्व छात्र, अनुक्रमांक-1634250010010, विधि तृतीय वर्ष (षष्ठम सेमेस्टर) वर्ष-2016, केंद्र संकायाध्यक्ष, विधि संकाय द्वारा अप्रसारित आवेदन के क्रम में टि्यूटोरियल/मौखिक परीक्षा कराने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मानवेन्द्र त्रिपाठी, भूतपूर्व छात्र, अनुक्रमांक-1634250010010, विधि तृतीय वर्ष (षष्ठम सेमेस्टर) वर्ष-2016 का टि्यूटोरियल/मौखिक हेतु शुल्क जमा कराकर नियमानुसार परीक्षा करा ली जाय।

4. विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षा वर्ष-2017 के सम्बन्ध में विचार करते हुए समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छः विषयों राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र, गृहविज्ञान के प्रथम प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) ही रम्य जैसा कि राजभवन की भी मंशा है।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
परीक्षा नियंत्रक

  
कुलपति